<u>कार्यालय कलेक्टर भू-संसाधन प्रबंधन जिला सिवनी (म०प्र०)</u>

क्रमांक / 273 /भू-अभि/वे.जी.से./2026 सिवनी दिनांक 26/02/2026

प्रति

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
सर्व जिला सिवनी म.प्र |

विषय :- **डिजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम रबी वर्ष 2025-26 का कार्य समयसीमा में पूर्ण करने बाबत |**

सन्दर्भ :- 1. **कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर का पत्र क्र. MPLRS/DCS/Rabi-2025-26/1712 भोपाल दिनांक 04.12.2025 |**

2. **कार्यालयीन पत्र क्र. 1502/भू-अभि./वे.जी.से./2025 सिवनी दिनांक 29.12.2025 |**

-------00-------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें | डिजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम रबी वर्ष 2025-26 अंतर्गत फसल गिरदावरी का कार्य वर्तमान में लोकल यूथ/पटवारी के माध्यम से प्रगतिरत है | संदर्भित पत्र क्र.01 में प्रसारित दिशा निर्देशानुसार फसल गिरदावरी कार्य को 28 फरवरी 2026 तक शत प्रतिशत पूर्ण कराया जाना है ,जिस हेतु मात्र तीन दिवस शेष है | जिला सिवनी अंतर्गत वर्तमान में 87 % गिरदावरी कार्य पूर्ण किया गया है एवं 13 % गिरदावरी कराया जाना अभी भी शेष है | जिसकी तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील	कुल गिरदावरी			निजी भूमि की गिरदावरी			शासकीय भूमि की गिरदावरी			कुल खसरे	सर्वे पूर्ण खसरे
		कुल क्षेत्र०(हे०)	गिर० क्षेत्र०(हे०)	कुल गिरदावरी %	निजी क्षेत्र०(हे०)	निजी गिर० क्षेत्र०(हे०)	निजी गिरदावरी का %	शासकीय क्षेत्र०(हे०)	शासकीय गिर० क्षेत्र०(हे०)	शासकीय गिरदावरी %		
1	सिवनी	102864	95938.6	93%	84900	78616	93%	18716	17323	93%	148068	131738
2	धनौरा	49852.7	46268.2	93%	39387	36195	92%	10750	10073	94%	59525	54978
3	सिवनी नगर	25325.6	23508.5	93%	20075	18323	91%	5447.7	5185.4	95%	66809	60331
4	केवलारी	69648.6	64491.1	93%	55319	50299	91%	14879	14192	95%	114597	99003
5	बरघाट	52257.6	44926	86%	44224	36915	83%	8693.6	8010.5	92%	145041	119483
6	छपारा	66465.6	57109.5	86%	42781	34983	82%	24073	22127	92%	70872	57323
7	लखनादौन	111427	92005.7	83%	84342	67463	80%	27632	24543	89%	142348	127057
8	घंसौर	76416.5	63408.5	83%	50935	39718	78%	25101	23691	94%	96834	78804
9	कुरई	47081.1	32620.7	69%	36859	24105	65%	10699	8516.1	80%	74492	48810
	योग	601339	520277	87%	458822	386616	84%	145991	**133661**	**92%**	**918586**	**777527**

अतः लंबित फसल गिरदावरी कार्य को निर्धारित समयसीमा में शत प्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु सम्बंधित लोकल यूथ/पटवारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार |

तहसीलदार
भू-संसाधन प्रबंधन सिवनी

पृ. क्रमांक / 273A /भू-अभि/ वे.जी.से ./2026 सिवनी दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर म.प्र.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित |
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सर्व जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित |
3. स्टेनो टू कलेक्टर जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित |

तहसीलदार
भू-संसाधन प्रबंधन सिवनी

कार्यालय कलेक्टर भू-संसाधन प्रबंधन जिला सिवनी (म०प्र०)

क्रमांक / 1502/भू-अभि/वे.जी.से./2025 सिवनी दिनांक 29/12/2025

प्रति

1.अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सर्व जिला सिवनी म.प्र.।

2. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
सर्व जिला सिवनी म.प्र।

विषय :- **डिजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम रबी वर्ष 2025-26 हेतु ।**

सन्दर्भ :- **कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर का पत्र क्र. MPLRS/DCS/Rabi-2025-26/1712 भोपाल दिनांक 04.12.2025 ।**

-------00-------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 अंतर्गत पूर्व कि भांति ही स्थानीय युवा सर्वेयर (लोकल यूथ) को प्रशिक्षित कर उनके द्वारा फसल गिरदावरी का कार्य कराया जाना है।

अतः संदर्भित पत्र में प्रसारित दिशा निर्देशानुसार अपने तहसील के मास्टर ट्रेनर से तहसील स्तर पर स्थानीय युवा सर्वेयर (लोकल यूथ) का समयसीमा में सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर तहसील स्तर के मास्टर ट्रेनर की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए आगामी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

तहसीलदार
भू-संसाधन प्रबंधन सिवनी

पृ. क्रमांक / 1502A /भू-अभि/ रा. नि. /2025 सिवनी दिनांक 29/12/2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर म.प्र.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
भू-संसाधन प्रबंधन सिवनी

कार्यालय आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

(राजस्व भवन, नाका चन्द्रबदनी, नीडम रोड, ग्वालियर (म.प्र.), पिन कोड:- 474009)

(e-Mail : clrgwa@nic.in, mp-lrs@mp.gov.in)

क्रमांक/MPLRS/DCS/Rabi_2025-26/1712 भोपाल, दिनांक- 04/12/2025

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिला,

मध्यप्रदेश,

विषय -डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम रबी 2025-26 हेतु।

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 03 बार (मौसम खरीफ/रबी/जायद) में सारा एप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत् रूप से किया जा रहा है। फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार जियो फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के माध्यम से खेत मे बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का अनुसरण किया जाए :-

1. **किसान द्वारा एमपी किसान एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे** -
    1. एमपी किसान एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के उपरांत मोबाईल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है।
    2. एमपी किसान एप के माध्यम से फसल स्व-घोषणा की जानकारी जियो फेंस तकनीक के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर दर्ज की जा सकेगी एवं पूर्व से दर्ज फसल के विरूद्ध दावा/आपत्ति की जानकारी भी एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।
2. **स्थानीय युवा (सर्वेयर) पंजीयन एवं प्रशिक्षण** -आवंटित ग्राम हेतु एक या एक से अधिक स्थानीय युवा (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) का पंजीयन MPBHULEKH पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु कराया जाएगा जो 8वी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं उसके पास मोबाईल फोन (Android वर्जन 6+) मय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवा, ग्राम में उपर्युक्त स्थानीय युवा न होने पर ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा, ग्राम पंचायत में उपर्युक्त स्थानीय युवा न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा का पंजीयन कराया जाएगा। स्थानीय

युवा के चयन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जायेगा। संबंधित पटवारी द्वारा भी सर्वेयर को फसल सर्वे के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. **पोर्टल पर पंजीयन, ग्राम आवंटन एवं सत्यापन-**
   1. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत स्थानीय युवा को सर्वेयर एवं पटवारी को सुपरवाईजर रोल के तहत नियत कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
   2. सर्वेयर का पंजीयन एवं ग्राम आवंटन का कार्य MPBHULEKH पोर्टल पर किया जाएगा, तदोपरांत उपरांत सर्वेयर, सारा एप में ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकेगा।
   3. सर्वेयर लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम/सर्वे नंबर का डाटा डाउनलोड कर सर्वेक्षण का डाटा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड कर सकेगा। फसल की जानकारी एवं निजी पडत भूमि हेतु जियो फेंस सहित अनुमत फोटो लेना अनिवार्य होगा।
   4. नियत उद्यानिकी फसलों हेतु जैसे आम आदि की जानकारी पेड द्वारा आच्छादित भूमि अनुसार रकवा की जानकारी एवं वृक्ष संख्या दर्ज की जाएगी एवं पेड़ के आच्छादित क्षेत्र के नीचे मौसमी फसल की जानकारी भी दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार खसरा के रकवा से अधिक फसल की जानकारी नियत सीमा अनुसार दर्ज की जा सकेगी।
   5. ग्राम में एक से अधिक सर्वेयर होने पर कार्य विभाजन पटवारी द्वारा समन्वय कर किया जाएगा एवं ध्यान रखा जावेगा कि एक बार में 1000 सर्वे नंबर की अधिकतम् सीमा अनुसार सर्वेयर को सर्वे नंबर आवंटित किए जायें।
   6. प्राप्त इनपुट डाटा (किसान गिरदावरी/सैटेलाईट इमेज अनुसार संभावित फसल जानकारी/फोटो एनालिसिस आदि) अनुसार फसल विसंगति की जानकारी प्राप्त की जाएगी।

7. स्थानीय युवा द्वारा भरी गई जानकारी एवं इनपुट डाटा में प्राप्त जानकारी (फसल का नाम, बोया गया रकवा समान होने पर सुपरवाईजर का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा, यह सिस्टम द्वारा अनुमोदित होगी।
8. सर्वेयर द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद विसंगति डाटा सुपरवाईजर (पटवारी) को सारा एप/पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें पटवारी खसरे में उपलब्ध फसल एवं फोटो का अवलोकन कर जानकारी को अनुमोदित कर सकेगा एवं आवश्यक होने पर कारण अंकित कर पुन: परीक्षण हेतु सर्वेयर को भेज सकेगा।
9. पुन: परीक्षण हेतु भेजने के उपरांत यह डाटा सर्वेयर को सारा एप में उपलब्ध होगा, जिसकी जानकारी सर्वेयर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड की जायेगी।
10. सर्वेयर से पुन: प्राप्त जानकारी का अवलोकन सुपरवाईजर द्वारा सारा एप/पोर्टल के माध्यम से किया जाकर अनुमोदित किया जा सकेगा परंतु सुपरवाईजर द्वारा द्वितीय समय पर जानकारी को पुन: परीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगा एवं आवश्यक होने पर सुपरवाईजर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से जानकारी अद्यतन करना होगी।
11. सर्वेयर उपलब्ध न होने अथवा सर्वेयर के कार्य न करने पर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य पटवारी द्वारा सारा एप के माध्यम से स्वयं किया जाएगा (पटवारी द्वारा दर्ज फसल गिरदावरी की जानकारी सुपरवाईजर हेतु स्वत: अनुमोदित होगी)।
12. विसंगति डाटा में से 01 प्रतिशत डाटा का सत्यापन/अनुमोदन पटवारी द्वारा स्वयं खेत में जाकर पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से किया जाएगा।
13. फसल सर्वे की जानकारी के अनुमोदन उपरांत केवल विसंगति डाटा में से चयनित प्रत्येक ग्राम के 01 प्रतिशत सर्वे नंबर की जानकारी का सत्यापन संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार (वैरीफायर) द्वारा सारा एप/पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यक होने पर जानकारी को पुन: परीक्षण हेतु सुपरवाईजर को कारण अंकित कर भेजा जा सकता है, जिसमें सुपरवाईजर द्वारा पुन: उक्त जानकारी को पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा।
14. सुपरवाईजर से पुन: अद्यतन जानकारी प्राप्त होने पर वैरीफायर द्वारा उक्त जानकारी का अनुमोदन किया जाएगा, परंतु द्वितीय समय पुन: परीक्षण हेतु नहीं

भेजा जा सकेगा। आवश्यक होने पर स्वयं सारा एप के माध्यम से वैरीफायर द्वारा जियो फेंस तकनीक से क्रॉप सर्वे की जानकारी अद्यतन की जाएगी।

4. जॉचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति एवं जॉच की प्रक्रिया-

1. सुपरवाईजर द्वारा अनुमोदित जानकारी की जांच हेतु प्रत्येक वर्ष/मौसम हेतु 20 प्रतिशत ग्रामों का चयन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष/मौसम हेतु गामों का चयन करते हुए आगामी 05 वर्ष में शत-प्रतिशत ग्रामों का जांच कार्य पूर्ण किया जाएगा। जांच कार्य हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार को छोडकर राजस्व/ अन्य विभाग (कृषि, उद्यानिकी आदि) के अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से नियुक्त किया जाएगा।
2. जांचकर्ता यूजर की जानकारी को सारा पोर्टल के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा, जिन्हें ग्राम आवंटन का कार्य सारा पोर्टल पर तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा।
3. आवंटित ग्राम में 01 प्रतिशत या ग्राम के कम से कम 10 निजी सर्वे नंबर (यथासंभव विसंगति डाटा में से चयनित) जो अधिक हो, सिस्टम द्वारा आवंटित किए जायेंगे।
4. जांचकर्ता द्वारा सारा एप में लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम/सर्वे नंबर की जांच की जाएगी, सहमत होने पर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अपलोड की जाएगी एवं असहमत होने पर जियो फेंस के माध्यम से फसल के फोटो सहित जानकारी अपलोड की जाएगी।
5. जांचकर्ता द्वारा अपलोड की गई जानकारी सारा पोर्टल पर संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसका निराकरण जानकारी का अवलोकन/आवश्यक जांच उपरांत किया जाएगा।

5. प्रचार- प्रसार -

1. सुपरवाईजर के अनुमोदन उपरांत ग्रामवार फसल की जानकारी पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत/निकाय के नोटिसबोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
2. फसल सर्वेक्षण में किसानों की सहभागिता हेतु किसानों को प्रेरित किया जाए।
3. एमपी किसान मोबाईल एप के संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाये।
4. स्थानीय युवा/पटवारी द्वारा सर्वे पूर्ण करने अनुमोदित जानकारी फार्मर रजिस्ट्री से मोबाईल नंबर प्राप्त कर खातावार एसएमएस किसानों को प्रेषित किया जाएगा।

6. सुपरवाईजर द्वारा जानकारी अनुमोदन करने पर खेत में फसल की जानकारी का अवलोकन एमपी किसान एप के माध्यम से किसान द्वारा किया जा सकेगा एवं असहमति की दशा में अद्यतन जानकारी पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से फसल के फोटो सहित दावा/आपत्ति निराकरण हेतु अपलोड की जाएगी।
7. एमपी किसान एप के माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा आवश्यक जांच उपरांत किया जाएगा।
8. नियत तिथि उपरांत डाटा को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
9. इस प्रकार निम्न समय-सीमा में डिजिटल क्रॉप सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी :-

समय सरणी

बिन्दु	दिनांक से	दिनांक तक
सर्वेयर पंजीयन		(कार्यपूर्णता तक)
समस्त प्रशिक्षण		20/01/2026
किसान गिरदावरी	21/01/2026	28/02/2026
सर्वेयर क्रॉप सर्वे	21/01/2026	28/02/2026
सुपरवाईजर सत्यापन		05/03/2026
किसान दावा/आपत्ति		10/03/2026
दावा/आपत्ति निराकरण		15/03/2026
वैरीफायर अनुमोदन	10/03/2026	15/03/2026
डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य	01/03/2026	15/03/2026
जाचं कार्य का अंतिम अनुमोदन		20/03/2026
अंतिम डाटा भूलेख पोर्टल पर अद्यतन		31/03/2026

10. **राशि भुगतान** - स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल/निजी पडत भूमि हेतु राशि रूपये 08/-(आठ रूपये) एवं प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल/निजी पडत भूमि हेतु राशि रूपये 02/- (दो रूपये), इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिकतम् राशि रूपये 14/-(चौदह रूपये) देय होगी। मास्टर ट्रेनर (राज्य/जिला/तहसील) हेतु प्रति मास्टर ट्रेनर राशि रूपये 1000/- का प्रावधान है। जिला/तहसील के मास्टर की जानकारी का सत्यापन तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर पर तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन द्वारा SNA SPARSH के माध्यम से की जाएगी।

11. जांच अधिकारी/तहसीलदार द्वारा सर्वेयर की जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व से पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन कर नियत ग्राम/सर्वे नंबर का कार्य कराया जा सकेगा।

4/12/25

(अनुभा श्रीवास्तव)
आयुक्त
भू-संसाधन प्रबंधन मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/MPLRS/DCS/Rabi_2025-26/1712 भोपाल, दिनांक-04/12/2025

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
5. संचालक, उद्यानिकी विभाग, भोपाल।
6. प्रबंध निदेशक, MPSeDC भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी WebGIS की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4/12/25

आयुक्त
भू-संसाधन प्रबंधन मध्यप्रदेश